यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

ण सख्या : 15/2012

1. भंवरलाल
2. रामकुवार
3. जानकीलाल
4. हेमराज
5. सुभाषचन्द्र

पुत्रान सीताराम जाति माली निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

............प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल
2. बृजमोहन पुत्र रामगोपाल

जातियान माली निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2012 की अवमानना करने बाबत् अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सी0पी0सी0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

निर्णय दिनांक : 26.07.2018

दायरा दिनांक: 28.06.2012

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते चाहने अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 26.03.2012 को ताफैसला वाद निर्णित कर दिया गया है जिसके आदेश की भाषा इस प्रकार से है:– ग्राम रायथल पटवार क्षेत्र रायथल के खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0, पर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। अप्रार्थीगण ने न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 की उल्लघंन करते हुए अप्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी पर टीन शेड का निर्माण कर लिया, तथा पक्का निर्माण पुनः चालू करने के लियें मौके पर निर्माण सामग्री डलवाना प्रारम्भ कर दिया है। तथा इस नीयत से प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जिसकी लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी सीसवाली को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवायी लेकिन थानाधिकारी सीसवाली द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गयी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को उनके कृत्य के लिए दण्डित किया जावें व तत्काल काम रूकवाने वास्ते अप्रार्थीगणको पाबंद किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.06.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिनकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। बावजूद ना प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उसे क्स पार्टी घोषित किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 26.07.2018 को वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया जो वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व सुनी गयी बहस व प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की प्रार्थना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं थानाधिकारी सीसवाली को आदेश दिया जाता है अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधिअनुरूप कार्यवाही अमल में लायी जाकर ग्राम रायथल पटवार क्षेत्र रायथल के खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 में अप्रार्थीगण द्वारा करवाया जा रहा अवैध निर्माण रूकवाया जाकर भविष्य में अवैध निर्माण नही किये जाने हेतु पाबंद किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाया गया।